निर्णय दिनांक :– 18|12|20

वादीगण की और से श्री सुरेन्द्र सिंहाग अधिवक्ता, प्रतिवादी 1 ता 4 की और से श्री अमरीक सिंह, भीमसेन अधिवक्ता की उपस्थिति में आज दिनांक 18|12|20 को अपिल यादव आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाकर डिक्री की जाती है कि वादीगण एंव प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धार 88, 53 आरटीए के अन्तर्गत वादी प्रतिवादीगण को निम्नानुसार खाता विभाजन करते हुए खातेदार घोषित किया जाता है कि:–

क:–वादी सूनील कुमार को चक 7 एनडीआर बी पत्थर नम्बर 174/338 मुरबा नम्बर 34 किल नम्बर 3/.220, 4/.241, 5/.067, कुल 0.528 हैक. मय गैर मुमकिन भमि का।

ख.:–प्रतिवादी संख्या 3 विनोद कुमार चक 7 एनडीआर बी पत्थर नम्बर 174/338 मुरब्बा नम्बर 34 किला नम्बर 1, 2, 3/.021 कुल 0.527 हैक. मय गैरमुमकिन भमि का।

ग:–प्रतिवादी संख्या 4 शंकरलाल चक 7 एनडीआर बी पत्थर नम्बर 174/338 मुरब्बा नम्बर 34 किला नम्बर 5/0.174 हैक. पत्थर नम्बर 174/337 मुरब्बा नम्बर 25 किला नम्बर 6/.101, 7/.253 कुल .528 हैक. मय गैर मुमकिन भमि का

घ:–विनोद कुमार ,सुनील कुमार शकरलाल ब.हि.ब. बराबर चक 7 एनडीआर बी पत्थर नम्बर 174/338 मुरब्बा नम्बर 34 किला नम्बर 3/.012, 4/.012, 5/.012 हैक. सयुक्त रूप से भूमि का वाद वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भारमुक्त होने की दशा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अकंन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/विरानी/गैरमुमकिन पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना – अपना वहन करेगे।

डिक्री आज दिनांक 18|12|20 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर आदालत से जारी की गई।

प्रमाणित प्रतिलिपि

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़।

मिलान किया

Web Copy Not Official

Scanned with CamScanner